

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री दिनेश कुमार रोल नम्बर 359109 मेरीट नम्बर 1313 वर्ग BC चयन वर्ग OBCM जन्मतिथि 25.02.1989 का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा-2015) राजनीति विज्ञान, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान पर इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि rpsc 2015/रिशफल नियुक्ति/2018 दिनांक 04.10.2018 द्वारा राउमावि 14 बी.डी. खाजुवाला, बीकानेर में पदस्थापित किया गया।

श्री दिनेश कुमार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान वर्तमान राउमावि मन्नीवाली, सादुलशहर, श्रीगंगानगर तत्का. राउमावि 14 बी.डी. खाजुवाला, बीकानेर में कार्यरत रहने के दौरान 1-बिना किसी उच्चाधिकारियों की स्वीकृति लिये मुख्यालय का परित्याग किया व बोर्ड परीक्षा के दौरान अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा कर स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम 1971 के नियम 3 (1) (i), 3 (1) (ii), 4 (5) का उल्लंघन करने के आरोप से आरोपित किया गया। 2-विद्यालय में संस्था प्रधान द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर संस्थाप्रधान के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं कर, किसी अन्य अध्यापक बन्त कुमार के साथ प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया। इस तरह शाला में गुटबाजी, प्रधानाचार्य के प्रति अनुशासनहीनता व असहयोगात्मक रवैया व शैक्षणिक वातावरण दूषित करने व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम 1971 के नियम 3 (1) (i), 3 (1) (ii), 3 (2) (ii), 4 (5) का उल्लंघन करने के आरोप से आरोपित किया गया।

उक्त की वक्त सुनवाई में प्रस्तुत तथ्यों, पत्रावली के गहन अध्ययन, अवलोकन तथा विश्लेषण उपरांत इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/वि0 जॉच/11266/M-210/2020/448-449 दिनांक 21.02.2022 द्वारा श्री दिनेश कुमार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने (WITHHOLD ONE GRADE INCREMENT WITHOUT CUMULATIVE EFFECT) के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः श्री दिनेश कुमार का परिवीक्षा की कालावधि के दौरान परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाई जाने के कारण राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 30 के प्रावधानानुसार परिवीक्षाकाल एक (01) वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा बढ़ाया जाता है।

सत्यमेव जयते

81
(काना राम)

आई.ए.एस

निदेशक,

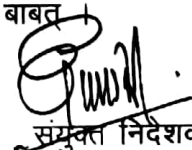
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/पीएससी रिशफल-15/स्थाईकरण/20-21 दिनांक:- 11/04/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा।
- 2-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 3-संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
- 4-अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी/विभागीय जांच अनुभाग।
- 5-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 6-निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा-2015) राजनीति विज्ञान, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्र स	चयन वर्ग	मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OBCM	1313	DINESH KUMAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANNIWALI (211973) GANGANAGAR	25-02-1989	14-11-2018	14-11-2021 (इस कार्यालय के आदेश दिनांक 11-04-2022 द्वारा RSR 1970 के नियम 30 के प्रावधानानुसार परीक्षाकाल एक (01) वर्ष की कालावधि बढ़ाये जाने के कारण)

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 11/04/22

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/रावि/पीएससी रिशफल-15/स्थाईकरण/20-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
- 2-शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- 3-संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी.....।
- 4-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 5-संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
- 6-अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
- 7-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 8-निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

--: कार्यालय-आदेश ::--

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्रसं	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BC, RG	-	R-30	SUNITA CHOUDHARY, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAPEU (211451), BIKANER	गणित	29/09/1993	19/09/2019	19/09/2021
2	SC	-	R-334	GANPAT LAL PANNU, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THANA (223656), DUNGARPUR	भौतिक विज्ञान	05/11/1978	19/09/2019	19/09/2021

सत्यमेव जयते

(काना राम)

आई ए एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/भौगक/प्रो.ट्रे/स्थाईकरण/2015/2020-21/326 दिनांक: 11.04.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
6. सिस्टम एनेलैसिसट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर